न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :–ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
न0मु0:–73/22
निर्णय दिनांक:– 16/01/25

1. सांवरमल पुत्र स्व. भवराराम जाति जाट निवासी सुजानगढ
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. भवराराम जाति जाट निवासी सुजानगढ
3. रमेश पुत्र स्व. भवराराम जाति जाट निवासी सुजानगढ
4. सुरजली पत्नी स्व. भवराराम जाति जाट निवासी सुजानगढ

वादीगण

बनाम

1. लिछमादेवी पत्नी हणुताराम जाति जाट निवासी सुजानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् खातेदारी भूमि विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति

उपस्थित :– रमेश कुमार बिसु अधिवक्ता वादी

:– प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

:– प्रतिवादी संख्या 02पैरोकार राज उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ जिला–चूरू

निर्णय

उपरोक्त प्रकरण मे वादीगण के द्वारा खेत खसरा नम्बर 321 तादादी 5.4247 हेक्टेयर भूमि एंव खसरा नम्बर 338 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण मे अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज 1/2 हिस्सा को विभाजन करवा कर प्रथक खातेदारी दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया गया है ,जिसमे वाद को दर्जकिया जाकर विधिवत सुनवाई की जाकर वाद को दिनांक 14/03/2024 को प्रारम्भिक रूप से डिकि किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जाकर विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु आदेशित किया गया था ,जिसकी पालना/अनुसरण मे तहसीलदार सुजानगढ के द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 321 तादादी 5.4247 हेक्टेयर भूमि एंव खसरा नम्बर 338 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण मे वादीगण के हिस्से की भूमि का रास्ते का अंकन को दर्शाते हुये दिनांक 11/10/2024 को विभाजन प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट पेश की गई है ,जिस पर सुनवाई की गई । जिस पर किसी पक्षकार का कोई ऐतराज प्रस्तुत नही हुआ है । वादी अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मे वाद को अंतिम डिकि किया जाने का निवेदन किया है ।

अधिवक्ता वादी को सुना गया , पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एंव विभाजन प्रस्ताव मे प्रारम्भिक अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 321 तादादी 5.4247 हेक्टेयर भूमि एंव खसरा नम्बर 338 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण मे स्थित है जिसमे वादीगण 1/2 के रेकार्ड खातेदार है एंव विभाजन प्रस्ताव मे तहसीलदार सुजानगढ के द्वारा खसरा नम्बर 321/1 मीन तादादी 2.8388 भूमि दक्षिणी तरफ की वादीगण के हिस्से ,कब्जे काश्त मे दर्शायी है एंव खसरा नम्बर 321/1 मीन उत्तरी तरफ 2.5859 हेक्टेयर एंव खसरा नम्बर 338 सम्पूर्ण 0.2529 हेक्टेयर कुल 2.8388 प्रतिवादी लिछमा के कब्जा काश्त मे दर्शायी है जिसके अनुसार वादी एंव प्रतिवादी काबिज है । वादी एंव प्रतिवादी के राजस्व रेकार्ड मे बराबर बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज है एंव उसी के अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैजिस पर कोई ऐजराज पेश नही हुआ है । लिहाजा वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिकि किये जाने योग्य है जिसको डिकि किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

आदेश

अत वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिकि किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 321 तादादी 5.4247 हेक्टेयर भूमि एंव खसरा नम्बर 338 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि वाके रोही सुजानगढ ग्रामीण मे अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज 1/2 हिस्सा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 321/1 मीन तादादी 2.8388 की खातेदारी वादीगण के नाम अलग दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे एंव इसी अनुरूप नक्शा मे भी तरमीम कर दी जावे ,इस हेतु तहसीलदार सुजानगढ को तहरीर जारी की जावे तदनुसार दावा अंतिम रूप से डिकि किया जाकर डिकि पर्चा कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की पालनार्थ विभाजन प्रस्ताव मय फर्द मौका एंव नक्शा मौका की प्रति आदेश के साथ तहसीलदार सुजानगढ को भेजी जावे ।

आदेश आज दिनांक ...16/01/25....को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमैइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 [illegible])

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

दस्तखतहाकिम श्रीओमप्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

सांवरमल बनाम लिछमादेवी आदि

दावा बाबत् खातेदारी भूमि विभाजन एवं [illegible]

मुकदमा न0 73 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... मिनजानिबमुद्दायलाह पेश होकर हुक्म हाजरी श्री रमेश बिस्नु एडवोकेट, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिकि किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 321 तादादी 5.4247 हेक्टेयर भूमि एंव खसरा नम्बर 338 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण मे अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज 1/2 हिस्सा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 321/1 मीन तादादी 2.8388 की खातेदारी वादीगण के नाम अलग दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे एव इसी अनुरूप नक्शा मे भी तरमीम कर दी जावे .इस हेतु तहसीलदार सुजानगढ़ को तहरीर जारी की जावे तदनुसार दावा अंतिम रूप से डिकि किया जाकर डिकि पर्चा कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की पालनार्थ विभाजन प्रस्ताव मय फर्द मौका एव नक्शा मौका की प्रति आदेश के साथ तहसीलदार सुजानगढ़ को भेजी जावे । .... बाबत ....
चीज .... मुबलिग ....
.... खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 01 2025

दस्तखत .... उप खण्ड अधिकारी

ओहदा .... सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।